

नीलामी सूचना 02 / 2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जैसलमेर जिले के इस कार्यालय क्षेत्राधिकार के नाचना क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली' 2017 के नियम 54, 60 व 61 के तहत नाचना क्षेत्र में खनिज जिप्सम 750 टन का भण्डारण जब्त किया गया। जिसके क्रम में मैसर्स एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड, हमीरा, जैसलमेर द्वारा खनिज जिप्सम का विक्रय मूल्य राशि रूपये 500/- प्रति टन (मूल मूल्य + रॉयल्टी + डीएमएफटी + आरएसएमईटी) दिया गया है। उक्त खनिज की नीलामी हेतु दरे सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 100/- रूपये की डी.डी. / बैंक चैक खनि अभियन्ता, जैसलमेर (Mining Engineer, Jaisalmer) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 15.06.2026 तक रोकड शाखा कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जैसलमेर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

नाचना क्षेत्र में पड़े जब्तसुदा जिप्सम कुल मात्रा 750 टन की बोली दर मय बयाना/अमानत राशि 7500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक चैकर्स जो खनि अभियन्ता, जैसलमेर के नाम हो, सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 15.06.2026 सायं 05:00 पीएम बजे तक प्राप्त की जावेगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 19.06.2026 प्रातः 11:00 ए.एम बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जायेंगे, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

(वेदप्रकाश)

खनि अभियन्ता

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

जैसलमेर



नीलामी हेतु उपलब्ध खनिज जिप्सम का विवरण

जैसलमेर जिले में इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नाचना में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण चैकिंग के दौरान जब्त शुदा खनिज जिप्सम (जैसी हैं उसी स्थिति में) पड़ी हुई है, जिसे दिनांक 19.06.2026 को नीलाम किया जाना है:-

क्रं. सं.	क्षेत्र का नाम जहाँ जब्त खनिज पडा है	स्थान	खनिज की मात्रा
1	नाचना	श्रीनाथ धर्मकांटा, नाचना	750 टन

निविदा कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी:- नोट निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार/विभाग द्वारा निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से कार्यालय खनि अभियन्ता जैसलमेर के क्षेत्राधिकार में एकत्रित जिप्सम नीलामी हेतु आवेदन लिखा होना चाहिए। सभी निविदाये कार्यालय खनि अभियन्ता जैसलमेर (राज.) के कमरा नं. 3 पर रखे हुए टेण्डर बॉक्स में दिनांक तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक थाना क्षेत्र/चौकी के अनुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता जैसलमेर के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कराना होगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदा दाता या फर्म फर्म की भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं लें
4. जब्तशुदा जिप्सम की गुणवता एवं मात्रा की [जानकारी/निरीक्षण](#) किसी भी कार्य दिवस में संबंधित क्षेत्र/परिसर में की जा सकती है।
5. सफल निविदा दाता को जब्तशुदा जिप्सम क्षेत्र/परिसर में जैसी भी, जितनी भी जहां, भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्चे से उठानी होगी।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 19.06.2026 को प्रातः 11:00 ए.एम. बजे उपस्थित निविदादाता से समक्ष खनि अभियन्ता, जैसलमेर कक्ष संख्या 2 में खोली जाएगी एवं सफलतम अधिकतम 20 दिवस की अनुमति होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुए जिप्सम पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।

7. सफल निविदादाता को संबंधित क्षेत्र परिसर की खनिज जिप्सम के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि स्वयं के स्तर पर एवं स्वयं के व्यय पर ही करनी होगी। इसमें विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र, भागीदारी अभिलेख एवं मुख्यतयारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल निदेशकों की सूची इत्यादि को स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
9. सफल निविदादाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार जीएसटी/टीसीएस /डीएमएफटी/आरएसएमईटी की राशि अतिरिक्त जमा करा कर विभाग को अधिकतम 7 दिवस में चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार नीलामी खनि अभियंता, जैसलमेर के पास सुरक्षित होंगे।
11. सफल निविदादाता परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही खनिज जिप्सम की अनुमति प्रदान की जायेगी।
12. जिप्सम को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलाकर ही परिवहन किया जा सकेगा।
13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फॉटों संबंधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता सर्तकता को व्हाट्सएप पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई खनिज जिप्सम के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटों एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के संबंधित नम्बर अंकित अधिकारियों को व्हाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवन्ना किया जायेगा।
15. नीलाम की गई खनिज जिप्सम को पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता खनिज जिप्सम को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिकों स्टॉक की फोटों, वाहनों की तोल पर्चियों एवं भरे हुए वाहनों के फोटों तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

17. प्रत्येक स्टॉक को निर्धारित समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलाम कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राइविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनो से अनुमत नहीं होगा।
19. खनिज के परिवहन हेतु विभाग कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्यूअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
21. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियंता, जैसलमेर द्वारा वाहन में वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी किया जायेगा तथा खनिज परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार हागी।
23. उक्त नीलामी माननीय न्यायालय से नीलामी हेतु अनुमति प्राप्त होने के अध्यक्षीन रहेगी।
24. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जैसलमेर होगा।
25. उक्त नीलामी स्थगित करने, नीलाम को फाइनल करने अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

(वेदप्रकाश)
खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
जैसलमेर

क्रमांक : खअ/जैसल/निविदा/2026/

दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी DMGOMS निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

3. श्रीमान् जिला कलक्टर, जैसलमेर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), जोधपुर।
5. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियंता, बीकानेर।
6. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, पोकरण।
7. खनिकार्यदेशक I/II

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
जैसलमेर